



| दिनांक | आदेश | अभ्युक्ति |
|------------------------------------|--|-----------|
| 24 ¹¹ / ₂₀₂₀ | <p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक सीनी बोदरा, पति-स्व० दुलु बोदरा, ग्राम-तमाड़बाँध, थाना-मुफसिल, जिला-पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा ने मौजा-तमाड़बाँध, थाना नं०-125, खाता नं०-05, प्लॉट नं०-491, कुल रकवा-0.12½एकड़ भूमि केता बिक्रम पुरती, पिता-सामु पुरती, ग्राम-बाईहातु, थाना-मुफसिल के पास में ब्रिकी के द्वारा हस्तान्तरित करने हेतु अनुमति की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से आम सूचना निर्गत किया गया। नोटिस तामिला अप्राप्त है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। अंचल अधिकारी सदर चाईबासा के पत्रांक-1023 दिनांक-13.10.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक द्वारा जाँच के समय मांगी गई वांक्षित कागजात उपलब्ध नहीं करायी गई जिसके कारण जाँच किया जाना संभव नहीं हो सका। उन्होंने आवेदन को अस्वीकृत करने हेतु अनुशंसा किया है।</p> <p>अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।</p> <p>लेखापित</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p> | |